



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072022-237539
CG-DL-E-25072022-237539

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3150]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944

No. 3150]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

का.आ. 3311(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1660 (E) दिनांक 06th अप्रैल, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के कुमारंभीम असिफाबाद जिले में NH363 New के कि.मी. 44.2 से कि.मी. 94.602 (आरडीओ ऑफिस, असिफाबाद) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22 अप्रैल, 2022" को "हंस इंडिया" और "प्रभात वेलुगु" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के कुमारंभीम असिफाबाद जिले में NH363 New के कि.मी. 44.2 से कि.मी. 94.602
(आरडीओ ऑफिस, असिफाबाद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना जिले का नाम: कुमारंभीम असिफाबाद					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: असिफाबाद				
	गांव का नाम: बुरुगुडा				
1	107	निजी	ड्रै	0.0182106	अडप रामैष् एँस्/ओ पेंटेया ()
	गांव का नाम: जनकपुर				
2	10	निजी	ड्रै	0.0091	परंडे शेषगिरि एँस्/ओ वामन रौ ()
3	9	निजी	ड्रै	0.0129497	अनर्थम श्रीकांत एँस्/ओ नारायण, चिलुवेरू वेंकटेश्वर एँस्/ओ नामदेव ()
	तालुक का नाम: रब्बेना				
	गांव का नाम: गंगापुर				
1	337	निजी(प्रेभट)	ड्रै	0.10117	रापाल लक्ष्मी डबल्यू/ओ मल्लैया ()
2	339	निजी(प्रेभट)	ड्रै	0.0151755	पुलिरी रामैष् एँस्/ओ मल्लैया ()

3	340	निजी	प्रदे	0.010117	रापाल स्त्रीनिभास् एँस्/ओ मल्लैया, रापाल राजशेखर एँस्/ओ मल्लैया ()
गांव का नाम: खैरगाओं					
4	188	निजी	प्रदे	0.0068796	मुंजाम पोछैया एँस्/ओ शंकरैया ()
5	38	निजी(प्रैभट)	प्रदे	0.161872	लोनरे तुलसीराम एँस्/ओ बाबाजी, लोनरे दामजी एँस्/ओ बाबाजी ()
6	39	निजी(प्रैभट)	प्रदे	0.161872	लोनरे तुलसीराम एँस्/ओ बाबाजी, लोनरे दामजी एँस्/ओ बाबाजी ()
गांव का नाम: रिब्बना					
7	26	निजी	प्रदे	0.151755	पुल्लूरी सुमति डबल्यू/ओ रामैष, गुलबम चक्रपाणि एँस्/ओ मल्लैया ()
8	34	निजी	प्रदे	0.0151755	वनथ प्रमीला डबल्यू/ओ अमार् सिन् ()
तालुक का नाम: वांकीदी					
गांव का नाम: गोगाओं					
1	34	निजी	प्रदे	0.121404	अतरम भरवन्थ एँस्/ओ यशवंत ()
2	38	निजी	प्रदे	1.426497	गेडम तेलंगराव एँस्/ओ सोमा ()
3	39	निजी	प्रदे	0.515967	अतरम चिन्ना बापू एँस्/ओ यशवंत रौ ()
4	42	निजी	प्रदे	0.728424	कुर्सिंग सोमा एँस्/ओ नागू ()
5	52	निजी	प्रदे	0.748658	मादावी जंगूबाई डबल्यू/ओ दौलत रौ

					()
6	57	निजी	खै	1.143221	अतरम श्यामला डबल्यू/ओ भूमन्ना ()
7	57	निजी	खै	0.60702	पुसम रेम् एँस्/ओ गंगू ()
8	BDPP	निजी	खै	0.060702	अतरम गणपति रौ एँस्/ओ राजेश्वर ()
			कुल	6.0161699	

[फा. सं. NHAI/PIU-NIRMAL/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2022

S. O. 3311(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1660 (E) dated 06th April 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH363 New on the stretch of land from Km. 44.2 to Km. 94.602 (RDO office, Asifabad) in the district of KUMARAMBHEEM ASIFABAD in the state of TELANGANA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hans India” and “Prabhata Velugu” both dated 22.04.2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH363 New in the stretch of land from Km. 44.2 to Km. 94.602 (RDO office, Asifabad) in the district of KUMARAMBHEEM ASIFABAD in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA District: KUMARAMBHEEM ASIFABAD					
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: ASIFABAD				
	Village: Buruguda				
1	107	Private	dry	0.0182106	Adapa Ramesh S/o Pentaiah
	Village: Jankapur				
2	10	Private	dry	0.0091	Parande Sheshagiri S/o Waman Rao
3	9	Private	dry	0.0129497	Anartham Srikanth S/o Narayana, Chiluveru Venkateshwar S/o Namdev
	Taluk: REBBENA				
	Village: Gangapur				
1	337	Private	dry	0.10117	Rapala Laxmi W/o Mallaiah
2	339	Private	dry	0.0151755	Pulluri Ramesh S/o Mallaiah
3	340	Private	dry	0.010117	Rapala Srinivas S/o mallaiah, Rapala Rajshekar S/o Mallaiah
	Village: Khairgaon				
4	188	Private	Dry	0.0068796	Munjam Pochaiah S/o Shankaraiah
5	38	Private	Dry	0.161872	Lonare Tulasiram S/o Babaji, Lonare Damji S/o Babaji
6	39	Private	Dry	0.161872	Lonare Tulsiram S/o Babaji, Lonare Damji S/o Babaji
	Village: Rebbana				
7	26	Private	dry	0.151755	Pulluri Sumathi W/o Ramesh, Gulbam Chakrapani S/o Mallaiah
8	34	Private	dry	0.0151755	Banoth Prameela W/o Amar Singh
	Taluk: WANKIDI				
	Village: Goagaon				
1	34	Private	dry	0.121404	Atram Bharwanth S/o yashwanth
2	38	Private	dry	1.426497	Gedam Telangrao S/o Soma
3	39	Private	dry	0.515967	Atram Chinna babu S/o Yashwanth Rao
4	42	Private	dry	0.728424	Kursinga Soma S/o Nagu

5	52	Private	dry	0.748658	Madavi Jangubai W/o Doulat Rao
6	57	Private	dry	1.143221	Atram Shyamala W/o Bhumanna
7	57	Private	dry	0.60702	Pusam Ram S/o Gangu
8	BDPP	Private	Dry	0.060702	Atram Ganapathi Rao S/o Rajeshwar
			TOTAL	6.0161699	

[F. No. NHAI/PIU-NIRMAL/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director